45. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि-गत रेल के प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन किसी भूमि का अर्जन करने के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित कोई कार्यवाही चालू रखी जायेगी और इस प्रकार निपटाई जायेगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त ही न हुआ हो। व्यावृत्ति

अनुसूची

देखिए धारा 2 (ङ) और धारा 32 की उपधारा (1)

कलकत्ता महानगर

28506

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979

(1979 का अधिनियम संख्यांक 30)

[11 जून 1979]

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों के नियोजन का विनियमन करने के लिये और उनकी सेवा की शर्तें तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विस्तार तक किसी राज्य या राज्यों में इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिये मुल्तवी या शिथिल कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

2-1980 : एस० आ० नि 513 (अ) / 11-8-80

(4) यह—

(क) ऐसे प्रत्येक स्थापन को लागू होता है जिसमें पांच या इससे अधिक अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (चाहे वे अन्य कर्मकारों के अतिरिक्त हों, या नहीं) नियोजित हैं या जो पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन नियोजित थे ;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को लागू होता है जो पांच या इससे अधिक अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को (चाहे वे अन्य कर्मकारों के अतिरिक्त हों या नहीं) नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन नियोजित किये थे ।

परिभाषायें : 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित सरकार" से,—

(i) (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाये जाने वाले किसी उद्योग से, या ऐसे किसी नियंत्रित उद्योग से, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, संबंधित किसी स्थापन संबंध में ; या

(2) किसी रेल, छावनी बोर्ड, महापत्तन, खान या तेल-क्षेत्र के किसी स्थापन के संबंध में ; या

(3) बैंककारी या बीमा कम्पनी के किसी स्थापन के संबंध में, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ii) किसी अन्य स्थापन के संबंध में, उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसमें वह अन्य स्थापन स्थित है ;

(ख) "ठेकेदार" से, किसी स्थापन के संबंध में, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे स्थापन को (चाहे स्वतन्त्र ठेकेदार, अभिकर्ता, नियोजक के रूप में या अन्यथा) केवल माल या विनिर्माण की वस्तुओं का प्रदाय करने से भिन्न कोई निश्चित परिणाम कर्मकारों के नियोजन द्वारा उस स्थापन के लिये सम्पन्न कराने का जिम्मा लेता है या जो स्थापन को कर्मकारों का प्रदाय करता है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा उप-ठेकेदार, खातादार, सरदार, अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे उसका जो भी नाम हो, है जो कर्मकारों की भर्ती करता है या उन्हें नियोजित करता है ;

(ग) "नियंत्रित उद्योग" से ऐसा कोई उद्योग अभिप्रेत है जिसके बारे में किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा यह घोषित किया गया है कि संघ द्वारा उस पर नियंत्रण रखना लोक हित में समीचीन है ;

(घ) "स्थापन" से अभिप्रेत है —

(i) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का कोई कार्यालय या विभाग, या

(ii) ऐसा कोई स्थान, जहां कोई विनिर्माण किया जाता है या कोई उद्योग, व्यापार, कारबार या उपजीविका चलाई जाती है ;

(ङ) "अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन एक राज्य के किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से दूसरे राज्य में, किसी स्थापन में नियोजन के लिये भर्ती किया गया है चाहे ऐसा उक्त स्थापन के संबंध में प्रधान नियोजक की जानकारी से किया गया है या उसकी जानकारी के बिना किया गया है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "प्रधान नियोजक" से अभिप्रेत है—

(i) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी कार्यालय या विभाग के संबंध में, उस कार्यालय, विभाग या प्राधिकरण का मुख्य अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे, यथास्थिति, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

3 का 63　(ii) किसी कारखाने के संबंध में उस कारखाने का स्वामी या अधिभोगी और जहां कोई व्यक्ति कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन उस कारखाने का प्रबंधक नामित किया गया है वहां इस प्रकार नामित व्यक्ति ;

(iii) किसी खान के संबंध में, उस खान का स्वामी या अभिकर्ता और जहां कोई व्यक्ति उस खान का प्रबंधक नामित किया गया है वहां इस प्रकार नामित व्यक्ति ;

(iv) किसी अन्य स्थापन के संबंध में, उस स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी कोई व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के उपखण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिये "खान" "स्वामी" और "अभिकर्ता" पदों के वही अर्थ होंगे जो खान अधिनियम,
2 का 35　1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) और खण्ड (ठ) और खण्ड (ग) में है ;

(ज) "भर्ती" के अन्तर्गत भर्ती के लिये कोई करार या ठहराव करना भी है और इसके सभी व्याकरणिक रुपभेद और सजातीय पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा ;

(झ) "मजदूरी" का वही अर्थ होगा जो मजदूरी संदाय अधिनियम,
का 4　1936 की धारा 2 के खण्ड (vi) में है ;

(ञ) "कर्मकार" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक के लिये कोई कुशल, अर्द्धकुशल या अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षणीय, तकनीकी या लिपिकीय काम करने के लिये किसी स्थापन के काम में या काम के संबंध में नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हैं या विवक्षित हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो —

(i) मुख्यतया प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है, अथवा

(ii) पर्यवेक्षकीय हैसियत में नियोजित है और पांच सौ रुपये मासिक से अधिक मजदूरी पाता है अथवा पद से संबंधित कर्तव्यों की प्रकृति या अपने में निहित शक्तियों के कारण मुख्यतया प्रबंधकीय प्रकृति के कृत्य करता है ।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति किसी निर्देश का, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, उस क्षेत्र के संबंध में, यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्समान विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश है ।

अध्याय 3

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों को नियोजित करने वाले स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों की नियुक्ति ।

3. समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा , —

(क) ऐसे व्यक्तियों को, जो सरकार के अधिकारी है, और जिन्हें वह ठीक समझे, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नियुक्त कर सकेगी ; और

(ख) उन सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी जिनके भीतर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

कतिपय स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

4. (1) किसी ऐसे स्थापन का, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, प्रत्येक प्रधान नियोजक, ऐसी अवधि के भीतर जो समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, साधारणतः स्थापनों की बाबत या उनके किसी वर्ग की बाबत इस निमित्त नियत करे, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने पर , जो स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिये विहित की जाए, आवेदन करेगा ।

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक समय पर आवेदन करने में पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था तो वह उस निमित्त की गई अवधि की समाप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिये ऐसे किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् एक मास के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी—

(क) यदि आवेदन सभी बातों में पूरा है तो स्थापन को रजिस्टर करेगा और स्थापन के प्रधान नियोजक को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में देगा ; और

(ख) यदि आवेदन इस प्रकार पूरा नहीं है तो आवेदन को स्थापन के प्रधान नियोजक को लौटा देगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् एक मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन आवेदित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं करता है और उस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन आवेदन को नहीं लौटाता है जहां रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्रधान नियोजक से इस निमित्त आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर स्थापन को रजिस्टर करेगा और प्रधान नियोजक को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में देगा ।

कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का प्रति संहरण ।

5. यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का या तो इस निमित्त उसको किए गए निर्देश पर या अन्यथा , यह समाधान हो जाता है कि किसी स्थापन का रजिस्ट्रीकरण दुर्व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य को छिपाकर अभिप्राप्त किया गया है या रजिस्ट्रीकरण किसी अन्य कारण से बेकार या प्रभावहीन हो गया है और इसलिए उसका प्रतिसंहरण अपेक्षित है तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्थापन के प्रधान नियोजक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहृत कर सकेगा और प्रधान नियोजक को आदेश संसूचित कर सकेगा ।

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी किसी विशेष कारण से ऐसा करना आवश्यक समझता है वहां वह ऐसा प्रतिसंहरण किए जाने तक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रवर्तन आदेश द्वारा ऐसी अवधि तक निलम्बित कर सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए तथा डाक रजिस्ट्री द्वारा ऐसा आदेश, कारणों के कथन सहित, प्रधान नियोजक पर तामील कर सकेगा और ऐसा आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको ऐसी तामील की जाती है ।

रजिस्ट्रीकरण के बिना अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के नियोजन के

6. किसी स्थापन का, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, कोई भी प्रधान नियोजक स्थापन में अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार को तब तक नियोजित नहीं करेगा जब तक इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया, ऐसे स्थापन से सम्बन्धित, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त नहीं होता है।

परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसे स्थापन को लागू नहीं होगी जिसके बारे में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नियत अवधि के भीतर, चाहे वह धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन मूल या बढ़ाई गई अवधि हो, किसी रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के समक्ष लंबित है और इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए कोई आवेदन, जिसको धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के समक्ष तब तक लंबित समझा जाएगा जब तक उस उपधारा के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।

अध्याय 3

ठेकेदारों का अनुज्ञापन

अनुज्ञापन अधिकारियों की नियुक्ति।

7. समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा,—

(क) ऐसे व्यक्तियों को जो सरकार के अधिकारी हैं और जिन्हें वह ठीक समझे इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी ; और

(ख) ऐसी सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी जिनके भीतर अनुज्ञापन अधिकारी इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करेगा।

ठेकेदारों का अनुज्ञापन।

8. (1) ऐसी तारीख से जो समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, कोई भी ठेकेदार, जिसे यह अधिनियम लागू होता है,—

(क) किसी राज्य के किसी व्यक्ति को किसी अन्य राज्य में स्थित किसी स्थापन में नियोजित करने के प्रयोजन के लिए भर्ती—

(i) यदि ऐसा स्थापन द्वारा धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट कोई स्थापन है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए उस अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा, जिसकी उस क्षेत्र के संबंध में, जिसमें भर्ती की जाती है अधिकारिता है ;

(ii) यदि ऐसा स्थापन धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट स्थापन है, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए उस अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा, जिसकी उस क्षेत्र के संबंध में जिसमें, भर्ती की जाती है, अधिकारिता है,

उस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार ही कर सकेगा अन्यथा नहीं ;

(ख) किसी राज्य के किसी स्थापन में किसी कार्य के निष्पादन के लिए किसी अन्य राज्य में व्यक्तियों का (चाहे वे अन्य कर्मकारों के अतिरिक्त हों अथवा न हों) कर्मकारों के रूप में नियोजन —

(i) यदि ऐसा स्थापन धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट स्थापन है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए उस अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा, जिस क्षेत्र के संबंध में, जिसमें स्थापन स्थित है अधिकारिता है ;

(ii) यदि ऐसा स्थापन धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट स्थापन है, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए उस अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा, जिसकी उस क्षेत्र के संबंध में, जिसमें स्थापन स्थित है अधिकारिता है,

उस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार ही कर सकेगा अन्यथा नहीं।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति में ऐसी शर्तें होंगी जिनके अन्तर्गत विशिष्टतया, उस करार या अन्य ठहराव के, जिसके अधीन कर्मकारों की भर्ती की जाएगी, अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों की बाबत संदेय पारिश्रमिक, काम के घण्टे, मजदूरी का नियतन और अन्य ऐसी आवश्यक सुविधाओं के निबंधन और शर्तें भी है जो समुचित सरकार धारा 35 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, अधिरोपित करना ठीक समझे, और वह अनुज्ञप्ति ऐसी फीस देने पर, जो विहित की जाए, प्रदान की जाएगी :

परन्तु यदि किन्हीं विशेष कारणों से अनुज्ञापन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है या जिसको अनुज्ञप्ति जारी की गई है, यह अपेक्षा करना आवश्यक है कि वह अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए कोई प्रतिभूति दे तो वह अधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसे कारणों को संसूचित करने और उसे अपने मामले में व्यपदेशन करने का अवसर देने के पश्चात् इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार वह प्रतिभूति अवधारित करेगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए या उसे धारण किए रखने के लिए दी जाएगी।

(3) प्रतिभूति, जिसका उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन दिया जाना अपेक्षित है, युक्तियुक्त होगी और उस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए नियमों में, नियोजित कर्मकारों की संख्या, उनको संदेय मजदूरी, उनको दी जाने वाली सुविधाओं तथा अन्य सुसंगत तथ्यों के आधार पर उस मान का उपबंध होगा जिसके प्रति निर्देश से ऐसी प्रतिभूति अवधारित की जाएगी।

अनुज्ञप्तियों का प्रदान किया जाना।

9. (1) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्ररूप में किया जाएगा और उसमें स्थापन की उपस्थिति, उस प्रक्रिया, संक्रिया या कार्य की प्रकृति के बारे में विशिष्टियां, जिसके लिए अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को नियोजित किया जाना है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं।

(2) अनुज्ञापन अधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्राप्त किए गए आवेदन के संबंध में ऐसा अन्वेषण कर सकेगा और ऐसा कोई अन्वेषण करते समय अनुज्ञापन अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए।

(3) इस अध्याय के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी और उसका समय-समय पर नवीकरण ऐसी अवधि के लिए और ऐसी फीस का संदाय करने पर और ऐसी शर्तों पर किया जा सकेगा जो विहित की जाएं।

अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण, निलम्बन और संशोधन।

10. (1) यदि अनुज्ञापन अधिकारी का, या तो उसे उस निमित्त किए गए निर्देश पर या अन्यथा, समाधान हो जाता है कि,—

(क) धारा 8 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति दुर्व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य को छिपाकर अभिप्राप्त की गई है ; या

(ख) अनुज्ञप्ति धारक उचित हेतुक के बिना, उन शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहा है, जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, या उसने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया है,

तो किसी ऐसी अन्य शास्ति पर, जिसके लिए अनुज्ञप्ति धारक इस अधिनियम के अधीन दायी हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्ति धारक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा

129

या धारा 8 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन उसके द्वारा दी गई प्रतिभूति या उसके किसी भाग का समपहरण कर सकेगा और आदेश अनुज्ञप्ति धारक को संसूचित कर सकेगा :

परन्तु जहां अनुज्ञापन अधिकारी किन्हीं विशेष कारणों से ऐसा करना आवश्यक समझता है वहां वह ऐसा प्रतिसंहरण या समपहरण किए जाने तक आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए और डाक रजिस्ट्री द्वारा ऐसा आदेश, कारणों के कथन सहित, अनुज्ञप्ति धारक पर तामील कर सकेगा और ऐसा आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको ऐसी तामील की जाती है।

(2) ऐसे किन्हीं विषयों के, जो इस निमित्त बनाए जाएं, अधीन रहते हुए अनुज्ञापन अधिकारी धारा 8 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति में परिवर्तन या संशोधन कर सकेगा।

11. (1) धारा 4, धारा 5, धारा 8 या धारा 10 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको आदेश उसे संसूचित किया जाता है, तीस दिन के भीतर, ऐसे किसी अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित व्यक्ति होगा   अपील।

परन्तु यदि अपील अधिकारी का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणवश निवारित हुआ था तो वह तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील अधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील का यथासंभव शीघ्र निपटारा करेगा।

अध्याय 4

ठेकेदारों के कर्तव्य और बाध्यतायें

12. (1) प्रत्येक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह,—   ठेकेदार के कर्तव्य

(क) उस राज्य के, जिससे अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार की भर्ती की जाती है, और उस राज्य के, जिसमें ऐसे कर्मकार को नियोजित किया जाता है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को, यथास्थिति, भर्ती की तारीख से या नियोजन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर ऐसी विशिष्टियां और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करे और जहां इस प्रकार प्रस्तुत की गई विशिष्टियों में से किसी में कोई परिवर्तन होता है वहां ऐसा परिवर्तन दोनों राज्यों के विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को अधिसूचित किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार को एक पासबुक जारी करे जिस पर कर्मकार का पासपोर्ट आकार का फोटो लगा हो और जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में, और जहां कर्मकार की भाषा हिन्दी या अंग्रेजी नहीं है वहां कर्मकार की भाषा में, निम्नलिखित उपदर्शित किया गया हो,—

(i) उस स्थापन का नाम और स्थान जिसमें कर्मकार नियोजित है;

(ii) नियोजन की अवधि;

(iii) मजदूरी की प्रस्तावित दरें और उसके संदाय का ढंग

(iv) संदेय विस्थापन भत्ता;

(v) नियोजन की समाप्ति पर और ऐसी आकस्मिकताओं में, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, और ऐसी अन्य आकस्मिकताओं में, जो नियोजन

संविदा में विनिर्दिष्ट की जाए, कर्मकार को संदेय वापसी किराया,

(iv) की गई कटौतियां ; और

(vii) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं

(ग) प्रत्येक ऐसे अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार की बाबत, जो नियोजित नहीं रह गया है, विवरणी उन राज्यों के, जिसमें उसको भर्ती की जाती है और उस राज्य के, जिसमें उसको नियोजित किया जाता है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में प्रस्तुत करे, जो विहित की जाए। इस विवरणी में यह घोषणा भी होगी कि कर्मकार को संदेय सभी मजदूरी और अन्य बकाया और उसके राज्य तक वापस यात्रा के लिए किराया संदत्त कर दिया गया है।

(2) ठेकेदार उपधारा (1) में निर्दिष्ट पासबुक को अद्यतन रखेगा और उसे संबंधित अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के पास रखे रहने देगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 16 के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्याय 5

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को दी जाने वाली मजदूरी, कल्याण संबंधी और अन्य सुविधायें

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों की मजदूरी दरें और सेवा की अन्य शर्तें।

13 (1) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार की मजदूरी दरें, अवकाश दिन, काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें,—

(क) ऐसी दशा में जहां ऐसा कर्मकार ऐसे किसी स्थापन में वही या उसी प्रकार का कार्य करता है, जैसा उस स्थापन में किसी अन्य कर्मकार द्वारा किया जा रहा है, वैसी ही होंगी जो ऐसे अन्य कर्मकार को लागू है ; और

(ख) किसी अन्य दशा में ऐसी होंगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए :

परन्तु अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार को किसी भी दशा में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन नियत मजदूरी से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी। 1948 का 11

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी ; इस धारा के अधीन किसी अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार को संदेय मजदूरी नकद दी जाएगी।

विस्थापन भत्ता।

14 (1) ठेकेदार द्वारा प्रत्येक अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार को भर्ती के समय विस्थापन भत्ता, जो उसको संदेय मासिक मजदूरी के 50 प्रतिशत के बराबर या 75 रुपए, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, संदत्त किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन विस्थापन भत्ते के रूप में किसी कर्मकार को संदत्त की गई रकम प्रतिदेय नहीं होगी और वह रकम उसको संदेय मजदूरी या अन्य रकमों के अतिरिक्त होगी।

यात्रा भत्ता आदि।

15. ठेकेदार द्वारा कर्मकार को जाने और वापस आने, दोनों, का यात्रा भत्ता, जो अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के अपने राज्य में उसके निवास स्थान से किसी अन्य राज्य में कार्य के स्थान तक के किराए की धनराशि से कम नहीं होगा दिया जाएगा और ऐसा कर्मकार ऐसी यात्राओं की अवधि के दौरान मजदूरी के संदाय का ऐसे हकदार होगा मानो वह काम पर हो।

16. किसी स्थापन के, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, कार्य के संबंध में अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार वहां नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह,—— अन्य सुविधाएं।

(क) ऐसे कर्मकारों को मजदूरी का नियमित संदाय सुनिश्चित करे,

(ख) समान कार्य के लिए, लिंग पर ध्यान दिए बिना, समान वेतन सुनिश्चित करे

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे कर्मकारों से उनके अपने राज्य से भिन्न राज्य में कार्य करने की अपेक्षा की गई है, उनके कार्य की उचित दशाएं सुनिश्चित करे;

(घ) कर्मकारों के लिए उनके नियोजन की अवधि के दौरान समुचित आवास सुविधा की व्यवस्था करे और उसे बनाए रखे,

(ङ) कर्मकारों के लिए मुफ्त विहित चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करे,

(च) कर्मकारों के लिए ऐसे संरक्षात्मक वस्त्रों की व्यवस्था करे जो विहित किए जाएं, और

(छ) ऐसे किसी कर्मकार को घातक दुर्घटना या उसको शारीरिक क्षति हो जाने की दशा में दोनों राज्यों के विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तथा कर्मकारों के नातेदारों को भी रिपोर्ट करे।

17. (1) ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित प्रत्येक अन्तर राज्यिक प्रवासी कर्मकार को मजदूरी का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी मजदूरी उस अवधि की समाप्ति के पूर्व संदत्त की जाएगी जो विहित की जाए। मजदूरी के संदाय का उत्तरदायित्व।

(2) प्रत्येक प्रधान नियोजक अपने द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत एक प्रतिनिधि को, ठेकेदार द्वारा मजदूरी का वितरण किए जाने के समय, उपस्थित रहने के लिए नामनिर्देशित करेगा और ऐसे प्रतिनिधि का यह कर्तव्य होगा कि वह मजदूरी के रूप में संदत्त रकमों को ऐसी रीति से प्रमाणित करे जो विहित की जाए।

(3) ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रधान नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करे।

(4) यदि ठेकेदार विहित अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय करने में असफल रहता है या कम संदाय करता है तो प्रधान नियोजक ठेकेदार द्वारा नियोजित अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार को, यथास्थिति, पूरी मजदूरी का या, उसको शोध्य असंदत्त अतिशेष रकम का संदाय करने के लिए दायी होगा और इस प्रकार संदत्त की गई रकम को वह ठेकेदार से या तो किसी संविदा के अधीन उसे संदेय किसी रकम में से कटौती करके या उसके द्वारा संदेय किसी ऋण के रूप में वसूल करेगा।

18. (1) यदि किसी स्थापन में, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, नियोजित अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार को धारा 14 या धारा 15 के अधीन संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित कोई भत्ता ठेकेदार द्वारा संदत्त नहीं किया जाता है या धारा 16 में विनिर्दिष्ट कोई सुविधा ऐसे कर्मकार के फायदे के लिए नहीं दी जाती है तो, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रधान नियोजक द्वारा, यथास्थिति, ऐसा भत्ता संदत्त किया जाएगा या ऐसी सुविधा दी जाएगी। कतिपय मामलों में प्रधान नियोजक का दायित्व।

(2) प्रधान नियोजक द्वारा संदत्त ऐसे सभी भत्ते या उसके द्वारा ऐसी सुविधा देने में उपगत सभी व्यय, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं, उसके द्वारा ठेकेदार से या तो किसी ठेके के अधीन ठेकेदार को संदेय किसी रकम में से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा संदेय किसी ऋण के रूप में वसूल किए जाएंगे।

पूर्व दायित्व

19. प्रत्येक ठेकेदार और प्रत्येक प्रधान नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार को ऐसे ठेकेदार या प्रधान नियोजक द्वारा दिया गया कोई उधार ऐसे कर्मकार के, यथास्थिति, उक्त ठेकेदार के अधीन या ऐसे प्रधान नियोजक के स्थापन में, नियोजन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् बकाया नहीं रहेगा और तदनुसार किसी अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार की किसी ऐसे ऋण को, जो नियोजन की अवधि के दौरान उसके द्वारा ठेकेदार या प्रधान नियोजक से प्राप्त किया गया हो और ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व चुकाया न गया हो, प्रतिसंदत्त करने की प्रत्येक बाध्यता ऐसी समाप्ति पर निर्वापित समझी जाएगी और ऐसे ऋण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

अध्याय 6

निरीक्षण करने वाले कर्मचारीवृन्द

निरीक्षक।

20. (1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और ऐसी स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगी जिनके भीतर वे इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(2) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, निरीक्षक उन स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिनके लिए वह नियुक्त किया गया है,—

(क) यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार किसी परिसर या स्थान में नियोजित है, तो वह ऐसे परिसर या स्थान में सभी युक्तियुक्त समयों पर, ऐसे सहायकों के (यदि कोई हों) साथ जो सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकरण की सेवा में के व्यक्ति हैं और जिन्हें वह ठीक समझे,—

(i) अपना यह समाधान करने, कि क्या ऐसे कर्मचारी को दी जाने वाली मजदूरी के संदाय, उनकी सेवा की शर्तों या सुविधाओं के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ii) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के द्वारा रखे जाने या प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित किसी रजिस्टर या अभिलेख या नोटिस की परीक्षा करने और निरीक्षण हेतु उनके पेश किए जाने की अपेक्षा करने, के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा,

(ख) किसी ऐसे परिसर या स्थान में पाए गए किसी व्यक्ति की परीक्षा यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कर सकेगा कि क्या ऐसा व्यक्ति अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार है

(ग) किसी कर्मकार को काम देने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे व्यक्तियों के नाम और पतों की बाबत, जिनको, जिनके लिए और जिनसे काम दिया या लिया जाता है, और काम के लिए किए जाने वाले ऐसे संदाय की बाबत, सूचना दे जिसका देना उसकी शक्ति में है;

(घ) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेख या नोटिस या उसके किसी भाग को, जिसे वह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध की बाबत सुसंगत समझे, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी प्रधान नियोजक या ठेकेदार द्वारा किया गया है, अभिगृहीत कर सकेगा; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो विहित की जाएं।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे कि ऐसे किसी कर्मकार की बाबत, जो उस राज्य का है और अन्य राज्य में स्थित स्थापन में नियोजित है, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है तो वह लिखित आदेश द्वारा उपधारा (2) में वर्णित उन शक्तियों का, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रयोग करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को जो उस सरकार की सेवा में है, नियुक्त कर सकेगी

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस राज्य की सरकार की, जिसमें ऐसे कर्मकार नियोजित हैं, सहमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा या जहां स्थापन धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट स्थापन हैं वहां केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

(4) ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में, जिससे उपधारा (2) के अधीन निरीक्षक द्वारा या उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा कोई दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने या कोई जानकारी देने की अपेक्षा की जाए, यह समझा जाएगा कि वह भारतीय
1860 का 45 दण्ड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थ में ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है।

1974 का 2 (5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध यथाशक्य, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन निकाले गए वारण्ट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार को कतिपय अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए भर्ती की तारीख से नियोजन में समझा जाना।

21. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के बारे में उसकी भर्ती की तारीख से ही यह समझा जाएगा कि वह उस कार्य के संबंध में, जिसके लिए उसे नियोजित किया गया है, यथास्थिति, उस स्थापन में या प्रथम स्थापन में नियोजित है और उसमें वास्तव में काम किया है।

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार संबंधी औद्योगिक विवादों के लिए उपबन्ध।

1947 का 14 22. (1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में किसी बात के होते हुए भी अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के नियोजन या अनियोजन अथवा नियोजन के निबंधन

या श्रम की शर्तों से सम्बन्धित कोई विवाद या मतभेद (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् औद्योगिक विवाद कहा गया है),—

(क) यदि औद्योगिक विवाद धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट स्थापन के सम्बन्ध में है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस अधिनियम के अध्याय 2 में निर्दिष्ट किन्हीं प्राधिकारियों को (जिन्हें इस उपधारा में इसके पश्चात् उक्त प्राधिकारी कहा गया है)—

(i) उस राज्य में जहां स्थापन स्थित है, या

(ii) उस राज्य में, जिसमें ऐसे कर्मकार को भर्ती किया गया था, यदि वह इस आधार पर कि वह अपना नियोजन समाप्त करने के पश्चात् उस राज्य में वापस आ गया है, एक आवेदन इस निमित्त उस सरकार को करे,

निर्दिष्ट किया जाएगा,

(ख) यदि औद्योगिक विवाद धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थापन के संबंध में है तो—

(i) उस राज्य की सरकार द्वारा, जिसमें स्थापन स्थित है, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस राज्य के उक्त प्राधिकारियों में से किसी को निर्दिष्ट किया जाएगा, या

(ii) उस राज्य की सरकार द्वारा, जिसमें ऐसे कर्मकार को भर्ती किया गया था, यदि वह इस आधार पर कि वह अपना नियोजन समाप्त करने के पश्चात् उस राज्य में वापस आ गया है एक आवेदन इस निमित्त उस सरकार को करे, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस राज्य के उक्त प्राधिकारियों में से किसी को निर्दिष्ट किया जाएगा :

परन्तु—

(क) खंड (क) के उपखंड (ii) या खंड (ख) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कोई आवेदन, उसके उस राज्य में, जिसमें उसकी भर्ती की गई थी, उसका नियोजन समाप्त होने के पश्चात् वापस आने की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान के पश्चात् तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सरकार का समाधान न हो जाए कि आवेदक उस अवधि के भीतर आवेदन करने में पर्याप्त कारण से निवारित था ;

(ख) खण्ड (ख) के उक्त उपखण्ड (ii) के अधीन कोई भी निर्देश उस राज्य सरकार की, जिसमें संबंधित स्थापन स्थित है, सहमति अभिप्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33ख के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां उस अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवादों की बाबत कोई कार्यवाही उस राज्य में, जिसमें स्थापन स्थित है, उक्त प्राधिकारियों में से किसी के समक्ष लम्बित है और उसके दौरान किसी अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार द्वारा कोई आवेदन उस प्राधिकारी को ऐसी कार्यवाही को उस राज्य के, जिसमें उसकी भर्ती हुई थी, तत्समान प्राधिकारी को अन्तरित करने के लिए इस आधार पर किया जाता है कि 1947 का 14

अपना नियोजन समाप्त होने के पश्चात् वह उस राज्य में वापस आ गया है तो वह प्राधिकारी उस आवेदन को, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उस राज्य की सरकार को, जिसमें ऐसी भर्ती हुई थी, भेजेगा और ऐसी कार्यवाही विहित रीति में ऐसे प्राधिकारी को, जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अन्तरित करेगा :

परन्तु उस दशा में जहां संबंधित सरकार ने विहित अवधि के भीतर कोई प्राधिकारी विनिर्दिष्ट नहीं किया है वहां वह प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित है अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार द्वारा निवेदन किए जाने पर और उस सरकार का, जिसने विवाद उस प्राधिकारी को निर्देशित किया था, पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्यवाही का उस राज्य के, जिसमें ऐसी भर्ती की गई थी, किसी प्राधिकारी को ऐसा विवाद निर्दिष्ट किए जाने के लिए, संबंधित सरकार को अग्रेषित करेगा ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में ऐसा करना समीचीन है तो वह लिखित आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण है उन्हें उसमें उल्लिखित करके उस राज्य के, जिसमें संबंधित स्थापन स्थित है, प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार से संबंधित किसी औद्योगिक विवाद के बारे में किसी कार्यवाही को वापस ले सकेगा और उसे उस राज्य के, जिसमें ऐसे कर्मकार को भर्ती किया गया था, ऐसे प्राधिकारी को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अन्तरित कर सकेगा

(4) वह प्राधिकारी जिसे इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही अन्तरित की जाती है या तो नए सिरे से, या उस प्रक्रम से, जिस पर वह इस प्रकार अन्तरित की गई हो, कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा ।

रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों का रखा जाना ।

23. (1) प्रत्येक प्रधान नियोजक और प्रत्येक ठेकेदार ऐसे रजिस्टर और अभिलेख रखेगा, जिनमें नियोजित अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों की, ऐसे प्रत्येक कर्मकार द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति की, ऐसे कर्मकार को दी गई मजदूरी की दरों की ऐसी विशिष्टियां तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में होंगी जो विहित की जाएं ।

(2) प्रत्येक प्रधान नियोजक और प्रत्येक ठेकेदार उस स्थापन के परिसर के भीतर, जहां अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार नियोजित किए जाते हैं, विहित प्ररूप में सूचनाएं, जिनमें काम के घंटे, कर्तव्य की प्रकृति के संबंध में विशिष्टियां और ऐसी अन्य जानकारी होगी, जो विहित की जाए, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रदर्शित करता रहेगा ।

बाधाएं ।

24. (1) जो कोई निरीक्षक को या धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा या किसी ऐसे स्थापन या ठेकेदार के संबंध में, जिसे यह अधिनियम लागू है, कोई निरीक्षण, परीक्षण, जांच या अन्वेषण, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत है, करने के लिए निरीक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति को उचित सुविधा देने से इन्कार करेगा या ऐसा करने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को किसी निरीक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति की मांग पर प्रस्तुत करने से जानबूझकर इन्कार करेगा या इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य करने वाले किसी निरीक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने या उसके द्वारा परीक्षा किए जाने से किसी व्यक्ति को निवारित करेगा या निवारित करने का

प्रयत्न करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे किसी व्यक्ति को ऐसे निवारित करना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के नियोजन से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन।

25. जो कोई इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए ऐसे किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा जो अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों के नियोजन को विनियमित करते हैं या इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम ऐसे उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

अन्य अपराध।

26. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए ऐसे किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, जिनके लिए अन्यत्र कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

27. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है;

अपराधों का संज्ञान।

28. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब कोई परिवाद निरीक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या लिखित रूप से उसकी पूर्व मंजूरी से किया गया हो अन्यथा नहीं और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अभियोजनों की परिसीमा।

29. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब उसका परिवाद उस तारीख से तीन मास के भीतर किया गया हो जिसको उस अपराध को, जिसका किया जाना अभिकथित है, जानकारी निरीक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति को हुई थी, अन्यथा नहीं :

परन्तु जहां अपराध निरीक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए किसी लिखित आदेश की अवज्ञा करने के रूप में है वहां उसका परिवाद उस तारीख से, जिसको उस अपराध का किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर किया जा सकता है।

अधिनियम से असंगत विधियों और करारों का प्रभाव।

30. (1) इस अधिनियम के उपबन्ध किसी स्थापन को लागू किसी अन्य विधि में या किसी करार या सेवा की संविदा के निबंधनों में या किन्हीं स्थायी आदेशों में, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् किए गए हों, उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां स्थापन में नियोजित अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार ऐसी किसी विधि, करार, सेवा की संविदा या स्थायी आदेशों के अधीन किसी मामले के सम्बन्ध में उन प्रसुविधाओं के हकदार हैं जो ऐसी प्रसुविधाओं की अपेक्षा, जिनके हकदार वे इस अधिनियम के अधीन होते, उनके लिए अधिक अनुकूल है वहां अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने इस अधिनियम के अधीन अन्य मामलों के सम्बन्ध में प्रसुविधाएं प्राप्त की हैं, उस मामले के सम्बन्ध में अधिक अनुकूल प्रसुविधाओं के हकदार बने रहेंगे।

(2) इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किन्हीं अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को, किसी मामले के सम्बन्ध में ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए, जो उन प्रसुविधाओं की अपेक्षा, जिनके हकदार वे इस अधिनियम के अधीन होते, उनके लिए अधिक अनुकूल हैं, यथास्थिति प्रधान नियोजक या ठेकेदार के साथ कोई करार करने से करती है।

विशेष दशाओं में छूट देने की शक्ति।

31. समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए तथा ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या कोई उपबन्ध किसी स्थापन या स्थापनों के किसी वर्ग या किसी ठेकेदार या ठेकेदारों के किसी वर्ग या ऐसे स्थापन में किसी अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार या ऐसे कर्मकारों के किसी वर्ग को या उनके संबंध में लागू नहीं होंगे यदि उस सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग में भर्ती की पद्धति और नियोजन की शर्तों तथा अन्य सभी सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना न्यायसंगत और उचित है।

अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

32. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अनुज्ञापन अधिकारी या किसी अन्य सरकारी सेवक के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाली गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के विरुद्ध न होगी ।

निदेश देने की शक्ति ।

33. केन्द्रीय सरकार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वित करने के बारे में उस राज्य की सरकार का निदेश दे सकेगी ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

34. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

35. (1) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम उनका पूर्व प्रकाशन करके ही बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह प्ररूप और रीति जिससे किसी स्थापन का रजिस्ट्रीकरण धारा 4 के अधीन किया जा सकता है, उस पर संदेय फीस और उस धारा के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप;

(ख) धारा 9 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और वे विशिष्टियां जो उसमें होनी चाहिए;

(ग) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए किसी आवेदन के सम्बन्ध में किए जाने वाले अन्वेषण की रीति तथा वे बातें जिनका अनुज्ञप्ति प्रदान या इन्कार करते समय ध्यान रखा जाएगा ;

(घ) उस अनुज्ञप्ति का प्ररूप जो इस अधिनियम के अधीन प्रदान या नवीकृत की जा सकेगी, वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान या नवीकृत की जा सकेगी, अनुज्ञप्ति के प्रदान या नवीकरण के लिए संदेय फीस और अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् पालन के लिए दी जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति, यदि कोई हो;

(ङ) वे परिस्थितियां, जिनमें अनुज्ञप्तियां में धारा 10 के अधीन परिवर्तन या संशोधन किया जा सकेगा;

(च) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिसमें धारा 11 के अधीन अपीलें फाइल की जा सकेंगी तथा अपीलों का निपटारा करने में अपील अधिकारियों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(छ) मजदूरी की दर, अवकाश दिन, काम के घण्टे और सेवा की अन्य शर्तें जिनके लिए अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार धारा 13 के अधीन हकदार है;

(ज) वह अवधि जिसके भीतर ठेकेदार द्वारा अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन मजदूरी संदत्त की जानी चाहिए और उस धारा की उपधारा (2) के अधीन ऐसे संदाय के प्रमाणीकरण की रीति;

(झ) वह समय, जिसके भीतर ठेकेदार द्वारा ऐसे भत्तों या सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है जिनकी व्यवस्था करना और उन्हें बनाए रखना इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है और ठेकेदार की ओर से व्यतिक्रम होने की दशा में प्रधान नियोजक द्वारा, धारा 18 के अधीन, उनकी व्यवस्था की जाएगी;

(ञ) शक्तियां जिनका धारा 20 के अधीन निरीक्षकों द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा;

(ट) प्रधान नियोजकों और ठेकेदारों द्वारा धारा 23 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टरों और अभिलेखों का प्ररूप और प्रदर्शित की जाने वाली सूचनाओं में अंतर्विष्ट की जाने वाली जानकारी की विशिष्टियां;

(ठ) विवरणियों के भेजने की रीति तथा वे प्ररूप जिनमें और वे प्राधिकारी जिन्हें ऐसी विवरणियां भेजी जा सकती हैं;

(ड) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को विधिक सहायता;

(ढ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक

सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

36. (1) उड़ीसा खादान लेबर (कंट्रोल एण्ड रेगूलेशन) ऐक्ट, 1975 और किसी राज्य में इस अधिनियम के तत्समान प्रवृत्त कोई विधि निरसित हो जाएगी । 1975 का उड़ीसा अधिनियम संख्यांक 42

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अधिनियम या विधि के उपबन्धों के अधीन की गई कोई भी बात या कार्यवाही, जहां तक ऐसी बात या कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वैसे ही की गई समझी जाएगी मानो उक्त उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या कार्यवाही की गई थी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता है ।

अनुसूची

(धारा 21 देखिए)

1. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923;	1923 का 8
2. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936;	1936 का 4
3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947;	1947 का 14
4. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948;	1948 का 34
5. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952;	1952 का 19
6. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 ।	1961 का 5?

a20680